5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | COURT FEE Rs.10 INDIA TEN RUPEES | 10 रु. दस रुपये | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

117

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग सागर

निग-618-II-16

रम्मा तनय शिवदीन यादव ,

निवासी ग्राम देवरदा, तहसील वल्देवगढ, जिला टीकमगड म0प्र0

श्री ...... द्वारा आज दि. 19-2-16 को प्रस्तुत

..................आवेदक

वनाम

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

म0 प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़

................. अनावेदकगण

स्वमेव निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदिका यह स्वमेव निगरानी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा आवेदक के नाम की भूमि स्थित ग्राम देवरदा खास , तहसील वल्देबगढ़, जिला टीकमगढ़ के खसरा कमांक 1243/1 रकवा 1.00 हैक्टर को कम्प्यूटर अभिलेख में दर्ज करने हेतु निर्देश जारी करने वावद प्रस्तुत कर रहा है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदिका के नाम से ग्राम देवरादा खास, स्थित भूमि खसरा नंबर 1243/1 रकवा 1.00 हैक्टर भूमि का ब्यवस्थापन, तहसीलदार महोदय वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा अपने प्रकरण कमांक 74/अ—19/82—83 के जरिये किया था। आवेदक उपरोक्त भूमि पर काबिज भी है। आवेदक का नाम उपरोत भूमि पर पटवारी अभिलेख में दर्ज भी हो गया था। आवेदक के पास बर्तमान में बर्ष 1999 से 2009 तक के खसरा की प्रमाणित प्रतियां भी हैं। जिनमें आवेदिका का नाम दर्ज है।

3— यह कि कंप्यूटर अभिलेख में नाम दर्ज करते समय उपरोक्त भूमि बिना समुचित कारण एवं सक्षम अधिकारी के आदेश के शासकीय लेख कर दी गई है। जिसके संबंध में आवेदक द्वारा श्रीमान तहसीलदार को 115;116 का आवेदनपत्र भी प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर उनके द्वारा पटवारी/रानि

XXXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 618-II/16 जिला Shivpuri

| स्थान तथा दनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 19-2-16 | 1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदिका के अधिवक्ता ने यह स्वमेव निगरानी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा आवेदिका के नाम की ग्राम देवरदा खास की भूमि खसरा कमांक 1243/1 रकवा 1.00 हैक्टर को कम्प्यूटर अभिलेख में नाम दर्ज करने का निर्देश जारी करने वावद पेश की है।<br><br>2– आवेदिका के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये, निगरानी के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदिका के नाम से ग्राम देवरादा खास, की भूमि खसरा नंबर 1243/1 के रकवा 1.00 हैक्टर का पटटा, तहसीलदार वल्देवगढ़, द्वारा अपने प्रकरण कमांक 74/अ–19/82–83 के द्वारा प्रदान किया था। आवेदिका द्वारा दायरा रजिस्टर की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की है, जो संलग्न निगरानी है। आवेदिका का नाम वादभूमि पर राजस्व अभिलेख में बर्ष 1999–2000 से 2009 तक दर्ज होने के संबंध में खसरा की प्रतियां भी प्रस्तुत कीं है, जिनमें आवेदिका का नाम दर्ज है। तहसीलदार द्वारा आवेदिका के आवेदनपत्र के आधार पर प्र0 क0 35/अ–3/03–04 दर्ज करके रानि से प्रतिवेदन प्राप्त करके दिनांक 24/08/2007 को वादभूमि के नक्शा में बटांक करने का भी आदेश पारित किया था। उपरोक्त सभी आदेश आज भी प्रभावशील हैं।<br><br>3– आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि कंप्यूटर अभिलेख में नाम दर्ज करते समय उपरोक्त भूमि बिना विधिक कारण तथा आदेश के शासकीय लेख कर दी गई है। तत्संबंध में आवेदिका द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 115;116 का आवेदनपत्र भी प्रस्तुत किया था। तहसीलदार के | |

(कृ.प.उ.)

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | (2) निगरानी प्र0 क0 618-II/16 | |
| | समक्ष राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदिका के पक्ष में प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया था। अतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों तथा तर्कों के आधार पर मैं यह पाता हूँ कि आवेदिका के नाम दर्ज उपरोक्त वाद भूमि पर वगैर सक्षम अधिकारी के आदेश के कंप्यूटर अभिलेख में शासकीय दर्ज किया गया है, जो विधि विरूद्व है। अतः संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वाद भूमि पर पूर्ववत आवेदिका रम्भा का नाम कंप्युटर अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किया जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज करके दायरा से पृथक होकर संचित अभिलेख हो। | |
| | सदस्य | |